भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

**राज्यसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3179**

उत्तर देने की तारीख 22.03.2018

**अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास**

**3179. श्री माजीद मेमनः**

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 45.3 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में महाराष्ट्र में ग्रामीण अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 61.6 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों तथा इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों की तुलना में आवंटित तथा उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जनजातियों हेतु अभिप्रेत योजनाओं के लाभ अपेक्षित लाभार्थियों तक पहुंच नहीं पाए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**जनजातीय कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री जसवंतसिंह भाभोर)**

(क) : जी, हां | पूर्व योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति (अजजा) के लोगों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 45.3% की तुलना में 61.6% था | इसके कारणों में अनुसूचित जनजातियों की परम्परागत जीवन शैलियां, आवासों की पृथकता, बिखरी जनसंख्या, उपलब्ध योजनाओं / कार्यक्रमों / सुविधाओं के विषय में जागरुकता की कमी आदि शामिल है |

(ख) : जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम एवं योजनाएं अन्य केन्दीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों को वित्तीय सहायता के माध्यम से समर्थन तथा अनुपूरक प्रदान करती हैं तथा अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील अंतरों को भरती हैं। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं / कार्यक्रम मात्रात्मक उपायों के किसी विशिष्ट प्रकार तक सीमित नहीं हैं | लागू किये जाने वाले कार्यकलापों के लिए प्राथमिकता समय-समय पर आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती है | अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के समाजिक –आर्थिक विकास के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं / कार्यक्रमों के ब्यौरे **अनुलग्नक-1** पर दिये गये हैं | बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-2017) के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न प्रमुख योजनाओं / कार्यक्रमों के तहत राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे **अनुलग्नक-2** पर दिए गए हैं |

(ग) : दशकीय जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित बड़े पैमाने वाले नमूना सर्वेक्षण तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न अन्य सर्वेक्षणों से संबंधित आंकड़े से पता चलता है कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक –आर्थिक विकास में बहुत सुधार हुआ है, उदाहरणत: अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा दर 2001 में 47.1% से बढ़कर 2011 में 59% हो गयी है तथा शिशु मृत्यु दर 62.1 (2005-2006) से घटकर 44.4 (2015-16) हो गयी है | अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संस्थागत प्रसूति 2005-06 में 17.7% से बढ़कर 2015-16 में 68.0% हो गयी है | तथापि, अनुसूचित जनजातियों तथा अखिल भारतीय जनसंख्या के बीच मानव विकास सूचकांकों में अंतर अभी भी है |

\*\*\*\*

**“अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास” के संबंध में दिनांक 22.03.2018 को पूछे जाने वाले राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3179 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-1**

**जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं / कार्यक्रम**

**1. जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए):** यह भारत सरकार की ओर से (वर्ष 1977-78 से) 100% अनुदान है। यह भारत की समेकित निधि पर भारित है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदानों के अलावा, मत प्राप्त मदें) तथा राज्य योजना निधियों और जनजातीय विकास के लिए प्रयासों के अलावा है। इस अनुदान का उपयोग एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा), पॉकेट और क्लस्टर्स, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) और बिखरी हुई जनजातीय जनसंख्या के आर्थिक विकास के लिए किया जाता है।

**2.** संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता अनुदान: **भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत सहायता अनुदान भारत सरकार की ओर से राज्यों के लिए 100**% **वार्षिक अनुदान है। यह भारत की समेकित निधि पर भारित है (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुदानों के अलावा, मत प्राप्त मद) और राज्य योजना निधियों तथा जनजातीय विकास हेतु प्रयासों के अलावा है। निधियों का उपयोग एकीकृत विकास एजेंसी (आईटीडीए), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी), संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) पॉकेट्स तथा क्लस्टर्स तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए किया जाता है।**

**3. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना:**

यह योजना 1953-54 में शुरू की गई थी और 01 अप्रैल, 2008 को इसे अंतिम बार संशोधित किया गया था। स्कीम का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याण योजनाओं तक पहुंच बढ़ाना है और सेवा की कमी वाले क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि-बागवानी उत्पादकता, सामाजिक न्याय इत्यादि क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा अंतरालों को भरना और अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उन्नयन के लिए वातावरण प्रदान करना है। कोई अन्य नवीन गतिविधि जिसका अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास या आजीविका पर सीधा प्रभाव पड़ता है उसपर भी स्वैच्छिक प्रयासों के द्वारा विचार किया जाए। यह स्कीम केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। अनुदान गैर-सरकारी संगठनों को विहित प्रपत्र में संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन की राज्य स्तरीय बहुविषयक समिति द्वारा पूर्णतः अनुशंसित आवेदनों पर दिया जाता है। सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तक निधियां सामान्यतः दी जाती हैं। स्वैच्छिक संगठनों से शेष 10 प्रतिशत अपने संसाधनों से वहन करने की अपेक्षा की जाती है।

**4. कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरणः**

 इस योजना का लक्ष्य चिह्नित जिलों अथवा ब्लॉकों विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) द्वारा आबाद क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु शिक्षा के लिए आवश्यक वातावरण पैदा करते हुए सामान्य महिला जनसंख्या तथा जनजातीय महिलाओं के बीच साक्षरता स्तरों में अंतर को भरना है। यह केन्द्रीय क्षेत्र की लिंग विशिष्ट योजना है तथा मंत्रालय 100% निधियन प्रदान करता है। संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की बहुअनुशासनीय राज्य स्तरीय समिति द्वारा यथावत सिफारिश पर आवेदन (निर्धारित प्रपत्र में) करने पर पात्र एनजीओ को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। इस योजना को दिनांक 01-04-2008 को संशोधित किया गया है। इसे कम साक्षरता वाले 54 चिह्नित जिलों जहां जनगणना 2001 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25% अथवा इससे अधिक है और अनुसूचित जनजाति की महिला साक्षरता दर 35% से कम है, में कार्यान्वित किया जा रहा है।

**5. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षणः**

योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के युवाओं का स्वरोजगार के साथ-साथ विविध प्रकार के कार्यों के लिए कौशल का विकास करना है और उनकी आय बढ़ाकर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारना है। स्कीम में सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं। यह कोई क्षेत्र विशेष स्कीम नहीं है, इसकी शर्त यह है कि निशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधा केवल जनजातीय युवाओं को ही दी जाती है और राज्य/संघ शासित क्षेत्र और स्कीम कार्यान्वित करने वाली अन्य संबंधित एजेंसियों को स्कीम के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र इस स्कीम के अंतर्गत क्षेत्र के संभावित रोजगार के आधार पर पारंपरिक कौशलों में पांच व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला सकते हैं। वर्ष 2018-19 से इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है तथा इस उपाय को जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) योजना के तहत मिलाया जाना है।

**6. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास**

वर्ष 1998-99 में केवल पीवीटीजी के विकास के लिए 100% केन्दीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई थी। इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए दिनांक 01-04-2015 को संशोधित किया गया था। यह योजना केवल 75 चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को शामिल करती है। यह योजना बहुत लचीली है तथा पीवीटीजी के लिए किसी विकासीय कार्यकलाप अर्थात् आवास, भूमि संवितरण, भूमि विकास, कृषीय वृद्धि, मवेशी विकास, संपर्क, प्रकाश के उद्देश्य के लिए ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की स्थापना, सामाजिक सुरक्षा अथवा पीवीटीजी के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बने किसी अन्य नवीन कार्यकलाप पर ध्यान देने के लिए प्रत्येक राज्य को सक्षम बनाती है।

**7. अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं तथा बालकों के लिए छात्रावासों की योजना**

इस योजना कें अंतर्गत, नए छात्रावास भवनों के निर्माण तथा/अथवा वर्तमान छात्रावासों के विस्तार के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/विश्विविद्यालयों को केंद्रीय सहायता दी जाती है। योजना 01.04.2008 को संशोधित की गई है। संशोधित योजना के तहत, राज्य सरकारें बालिकाओं के सभी छात्रावास तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर चिह्नित) बालकों के छात्रावासों के निर्माण के लिए भी 100% केंद्रीय अंश की पात्र हैं। राज्य सरकारों के लिए अन्य बालक छात्रावासों की निधियन पद्धति 50:50 के आधर पर है। संघ राज्यक्षेत्रों के मामले में, केंद्र सरकार बालक तथा बालिकाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों (वीटीसी) के लिए छात्रावासों को अन्य छात्रावासों के समान मानदंड पर वित्तपोषित किया जाता है। संसद सदस्य भी इस उद्देश्य के लिए अपने एमपीएलएडी योजना से राज्य अंश के स्थान पर निधि प्रदान कर सकते हैं। छात्रावास का रख-रखाव संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का उत्तरदायित्व है। छात्रावास मिडिल माध्यमिक, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए हो सकते हैं। वर्ष 2018-19 से इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है तथा इस उपाय को जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) योजना के तहत मिलाया जाना है।

**8 जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की योजना:**

योजना का उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए पढ़ाई के सहज वातावरण में अनुसूचित जनजातियों के लिए आवासीय विद्यालय प्रदान करना है तथा उन्हें देश की अन्य जनसंख्या के बराबर लाना है। योजना वित्तीय वर्ष 2008-09 से संशोधित की गई है। संशोधित योजना के तहत, राज्य सरकारें बालिकाओं के सभी आश्रम विद्यायों तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में (गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर चिह्नित) बालकों के आश्रम विद्यालय के निर्माण के लिए भी 100% केंद्रीय अंश के पात्र हैं। बालकों के लिए अन्य आश्रम विद्यालयों के लिए निधियन की पद्धति 50:50 के आधर पर है। वहीं संघ राज्यक्षेत्रों की बालिकाओं तथा बालकों दोनों के आश्रम विद्यालयों के निर्माण के लिए शत प्रतिशत सहायता दी जाती है। योजना में प्राथमिक, मीडिल, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल हैं। वर्ष 2018-19 से इस योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया है तथा इस उपाय को जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) योजना के तहत मिलाया जाना है।

**9. छात्रवृत्ति योजनाएं**

 मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के विचार के साथ निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, ताकि उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए सक्षम बनाया जा सके:

1. अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा 9 तथा 10)
2. अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11 के बाद)
3. अजजा विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति
4. विदेश में शिक्षा के लिए अजजा विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)

उपर्युक्त (i) तथा (ii) में उल्लिखित योजनाएं राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं तथा अनुंसूचित जनजाति के पात्र विद्यार्थियों को संवितरण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। इन योजनाओं अर्थात् अजजा के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजनाओं के तहत केन्द्र तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के बीच निधियों की साझेदारी 75:25 के अनुपात में की जा रही है तथा पूर्वात्तर राज्यों और जम्मू तथा कश्मीर, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के लिए यह अनुपात 90:10 है।

उपर्युक्त योजना (iii) के तहत निधियां संस्थानों/विद्यार्थियों को निर्मुक्त की जाती हैं और एनओएस योजना के अंतर्गत निधियां प्रतिपूर्ति के आधार पर विदेश मंत्रालय को निर्मुक्त की जाती हैं।

**10. जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को समर्थन**

विभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) स्थापित किए गए हैं। इस योजना का आधारभूत उद्देश्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को उनकी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं, अनुसंधान तथा प्रलेखन कार्यकलापों और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों आदि में सुदृढ़ करना है। यह परिकल्पना करती है कि टीआरआई जनजातीय विकास, जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, साक्ष्य आधारित आयोजना तथा उपयुक्त विधान के लिए राज्यों को निविष्टियां प्रदान करने, जनजातीय भवनों तथा व्यक्तियों/जनजातीय कार्यों के साथ जुड़े संस्थानों, सूचना के प्रसार और जागरूकता-सृजन के लिए कमोबेश विशेषज्ञ के तौर पर ज्ञान एवं अनुसंधान के निकाय के रूप में कार्य करें। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टीआरआई को आवश्यकता के आधार पर 100% सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

**11. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के विपणन हेतु तंत्र तथा एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास**

वर्ष 2013-14 में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी योजना) योजना शुरू की गई थी, जो जनजातीय लोगों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए पहला कदम था। आरंभ में इस योजना में 9 राज्यों में 10 एमएफपी शामिल थे। बाद में इसे सभी राज्यों में 24 एमएफपी तक बढ़ाया गया था। यह योजना राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य स्तरीय एजेंसी एसएलए के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय एसएलए के लिए परिक्रामी निधि प्रदान करता है। हानि, यदि कोई हो, की साझेदारी 75:25 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा की जाती है। वर्तमान में, इस योजना में 23 एमएफपी शामिल किए गए हैं और यह सभी राज्यों में लागू हैं।

12. जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) आय सृजनकारी कार्यकलाप चलाने के लिए अनुसूचित जनजातियों को ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजातियां जो बेरोजगार हैं अथवा अल्प-रोजगाररत हैं, के स्व-रोजगार के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करता है:

* **सावधि ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी 25 लाख रुपये प्रति इकाई तक की लागत वाली किसी आय सृजनकारी योजना के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। वित्तीय सहायता योजना की लागत के 90% तक प्रदान की जाती है और शेष सब्सिडी/आयोजक के अंशदान/मार्जिन राशि के रूप में पूरा किया जाता है। देय ब्याज दर 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 6% वार्षिक, 5 लाख से 10 लाख के बीच के ऋण के लिए 8% तथा 10 लाख से अधिक संपूर्ण राशि के ऋण के लिए 10% वार्षिक है।
* **आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई):** इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की महिलाएं कोई आय सृजनकारी कार्यकलाप शुरू कर सकती हैं। 1 लाख रुपये तक की लागत की योजना के लिए 90% ऋण 4% वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है।
* **स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना:** निगम 50 हजार रुपये प्रति सदस्य तथा 5 लाख रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) तक ऋण प्रदान करता है। देय ब्याज दर 6% वार्षिक है।
* **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना:** इस योजना के तहत 6% वार्षिक की रियायती ब्याज दर पर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भारत में पीएचडी सहित पेशेवर/तकनीकी शिक्षा के अनुसरण के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है।

\*\*\*\*

“अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास**”** के संबंध में दिनांक 22.03.2018 को पूछे जाने वाले राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3179 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक 2

अनुलग्नक **2 (i)**

|  |
| --- |
| **12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत निर्मुक्त निधि एवं दर्ज उपयोगिता को दर्शाने वाला विवरण**  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (लाख रुपए में) |
| ***क्रम सं.*** | ***राज्य*** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
| ***कुल निर्मुक्ति*** | ***दर्ज उपयोगिता*** | ***कुल निर्मुक्ति*** | ***दर्ज उपयोगिता*** | ***कुल निर्मुक्ति*** | ***दर्ज उपयोगिता*** | ***कुल निर्मुक्ति*** | ***दर्ज उपयोगिता*** | ***कुल निर्मुक्ति*** | ***दर्ज उपयोगिता*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4834.00 | 4091.27 | 350.00 | 350.00 | 2139.00 | 2139.00 | 5500.00 | 5500.00 | 2869.43 | 1773.09 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 832.19 | 832.19 | 1880.40 | 1880.40 | 3000.80 | 3000.80 | 6580.53 | 1433.16 |
| 3 | असम | 0.00 | 0.00 | 3540.25 | 3540.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 844.12 | 0.00 |
| 4 | बिहार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.00 | 586.00 | 0.00 | 0.00 | 1467.58 | 0.00 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 8534.00 | 8534.00 | 9172.11 | 9172.11 | 10778.00 | 10778.00 | 11904.31 | 11428.46 | 10488.52 | 9528.97 |
| 6 | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 |
| 7 | गुजरात | 4629.60 | 4629.60 | 10275.69 | 10275.69 | 8592.45 | 8592.45 | 11680.00 | 11680.00 | 9739.02 | 3802.26 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 474.00 | 474.00 | 474.00 | 474.00 | 190.99 | 190.99 | 523.20 | 523.20 | 1595.87 | 1595.87 |
| 9 | जम्मू और कश्मीर | 150.34 | 150.34 | 1146.75 | 1146.75 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3539.66 | 156.77 |
| 10 | झारखण्ड | 7369.50 | 7369.50 | 9280.40 | 9280.40 | 9873.00 | 9873.00 | 12202.96 | 12202.96 | 9489.38 | 0.00 |
| 11 | कर्नाटक | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4880.40 | 4880.40 | 6300.00 | 6300.00 | 4664.00 | 2889.95 |
| 12 | केरल | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 510.00 | 748.94 | 748.94 | 1085.44 | 1085.44 | 695.58 | 412.86 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 16518.04 | 16518.04 | 15793.47 | 15793.47 | 17321.42 | 17321.42 | 14845.15 | 14845.15 | 14971.43 | 5363.05 |
| 14 | महाराष्ट्र | 2911.00 | 2911.00 | 12489.00 | 12489.00 | 11701.29 | 11701.29 | 13374.00 | 13374.00 | 11536.53 | 2307.31 |
| 15 | मणिपुर | 1031.00 | 1031.00 | 1031.00 | 1031.00 | 1600.01 | 1600.01 | 1216.00 | 1216.78 | 1694.40 | 1455.00 |
| 16 | मेघालय | 0.00 | 0.00 | 2924.38 | 2924.38 | 2334.03 | 2334.03 | 1507.68 | 856.09 | 1576.21 | 163.70 |
| 17 | मिजोरम | 810.75 | 810.75 | 1133.61 | 1133.61 | 1877.78 | 1877.78 | 3617.37 | 3617.37 | 1927.49 | 1927.49 |
| 18 | नागालैण्ड | 2454.00 | 2454.00 | 2886.93 | 2886.93 | 2067.15 | 2067.15 | 5469.34 | 5469.34 | 6368.00 | 2781.54 |
| 19 | ओडिशा | 11283.99 | 11283.99 | 14706.50 | 14706.50 | 12728.22 | 12728.22 | 15200.00 | 15200.00 | 11954.96 | 3371.77 |
| 20 | राजस्थान | 7737.98 | 7737.98 | 9437.80 | 9437.80 | 9755.92 | 9755.92 | 11000.00 | 11000.00 | 10341.39 | 2028.28 |
| 21 | सिक्किम | 272.58 | 272.58 | 302.90 | 302.90 | 370.30 | 370.30 | 1250.30 | 400.30 | 1147.00 | 300.03 |
| 22 | तमिलनाडु | 0.00 | 0.00 | 901.00 | 901.00 | 639.60 | 639.60 | 852.80 | 352.80 | 798.24 | 0.00 |
| 23 | तेलंगाना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3894.40 | 3894.40 | 6090.00 | 6090.00 | 3608.05 | 3608.05 |
| 24 | त्रिपुरा | 1375.00 | 1375.00 | 1355.00 | 1355.00 | 1218.99 | 1218.99 | 1600.68 | 1600.68 | 1280.99 | 669.06 |
| 25 | उत्तर प्रदेश | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 743.49 | 743.49 | 1514.74 | 168.30 | 1138.62 | 0.00 |
| 26 | उत्तराखण्ड | 0.00 | 0.00 | 267.00 | 267.00 | 1530.36 | 1530.36 | 92.02 | 92.02 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | पश्चिम बंगाल | 6104.00 | 6104.00 | 6104.00 | 6104.00 | 5747.00 | 5747.00 | 7000.00 | 7000.00 | 5814.37 | 872.00 |
| ***कुल योग*** | ***81999.78*** | ***81257.05*** | **109713.98** | **109713.98** | ***113199.14*** | ***113199.14*** | ***139226.79*** | **135003.69** | **126581.37** | **46440.21** |

अनुलग्नक **2 (ii)**

**12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टीएसएस को एससीए के तहत निर्मुक्ति एवं दर्ज उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***क्रम सं..***  |  ***राज्य*** | ***2012-13*** | ***2013-14*** | ***2014-15*** | ***2015-16*** | ***2016-17*** |
| ***कुल निर्मुक्ति*** | ***दर्ज उपयोगिता प्रमाण-पत्र*** | ***कुल निर्मुक्ति*** | ***दर्ज उपयोगिता प्रमाण-पत्र*** | ***कुल निर्मुक्ति*** | ***दर्ज उपयोगिता प्रमाण-पत्र*** | ***कुल निर्मुक्ति*** | ***दर्ज उपयोगिता प्रमाण-पत्र*** | ***कुल निर्मुक्ति*** | ***दर्ज उपयोगिता प्रमाण-पत्र*** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4125.00 | 4125.00 | 5789.00 | 5789.00 | 2937.82 | 2937.82 | 3500.00 | 3500.00 | 5000.42 | 5000.42 |
| 2 | असम | 4674.00 | 4674.00 | 6563.63 | 6563.63 | 1788.59 | 1788.59 | 5844.00 | 1255.37 | 3407.80 | 2610.80 |
| 3 | बिहार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 403.00 | 403.00 | 1368.26 | 0.00 | 743.74 | 0.00 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 9478.00 | 9478.00 | 9478.00 | 9478.00 | 9826.50 | 9826.50 | 10809.64 | 10809.64 | 11717.82 | 11117.26 |
| 5 | गोवा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.68 | 455.68 |
| 6 | गुजरात | 7410.00 | 7410.00 | 8448.00 | 8448.00 | 10382.74 | 10382.74 | 10566.50 | 10566.50 | 9488.00 | 4008.26 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 1262.00 | 1262.00 | 1768.00 | 1768.00 | 997.99 | 997.99 | 475.00 | 475.00 | 1959.39 | 1827.80 |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 1702.41 | 1702.41 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3671.61 | 533.60 |
| 9 | झारखण्ड | 11413.25 | 11413.25 | 12187.00 | 12187.00 | 9571.11 | 9571.11 | 10000.00 | 10000.00 | 9820.75 | 4496.91 |
| 10 | कर्नाटक | 1853.25 | 1853.25 | 2471.00 | 2471.00 | 3000.00 | 3000.00 | 4370.00 | 4370.00 | 5100.00 | 4515.26 |
| 11 | केरल | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 549.00 | 530.00 | 530.00 | 357.50 | 357.50 | 808.09 | 288.10 |
| 12 | मध्य प्रदेश | 17525.00 | 17525.00 | 17525.00 | 17525.00 | 15274.22 | 15274.22 | 11501.21 | 11501.21 | 19236.61 | 5400.00 |
| 13 | महाराष्ट्र | 0.00 | 0.00 | 7728.00 | 7728.00 | 11726.18 | 11726.18 | 12514.91 | 12514.91 | 9547.00 | 2863.00 |
| 14 | मणिपुर | 1230.00 | 1230.00 | 1581.90 | 1581.90 | 1118.00 | 1118.00 | 1100.00 | 1100.00 | 2260.00 | 325.19 |
| 15 | ओडिशा | 13321.00 | 13321.00 | 13321.00 | 13321.00 | 14925.04 | 14925.04 | 14728.52 | 14728.52 | 11806.27 | 2367.82 |
| 16 | राजस्थान | 7441.00 | 7441.00 | 8377.00 | 8377.00 | 8822.04 | 8822.04 | 10190.00 | 10190.00 | 11072.90 | 1582.82 |
| 17 | सिक्किम | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 520.25 | 520.25 | 353.00 | 353.00 | 1497.62 | 132.67 |
| 18 | तमिलनाडु | 0.00 | 0.00 | 651.00 | 651.00 | 217.33 | 217.33 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
| 19 | तेलंगाना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3541.00 | 3541.00 | 4000.00 | 4000.00 | 3845.35 | 3845.35 |
| 20 | त्रिपुरा | 1955.00 | 1955.00 | 2102.10 | 2102.10 | 1183.94 | 1183.94 | 2400.07 | 2400.07 | 1345.76 | 401.54 |
| 21 | उत्तराखण्ड | 0.00 | 0.00 | 139.60 | 139.60 | 805.83 | 805.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | उत्तर प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.79 | 697.79 | 905.51 | 813.94 | 121.92 | 0.00 |
| 23 | पश्चिम बंगाल | 2580.75 | 2580.75 | 4181.36 | 4181.36 | 5730.00 | 5730.00 | 6233.00 | 6233.00 | 5995.50 | 400.00 |
|  **कुल** | **85254.25** | **85254.25** | **105000.00** | **10500.00** | **103999.37** | **103999.37** | **113217.12** | **110668.66** | **119502.23** | **52172.48** |

अनुलग्नक **2 (iii)**

**12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कक्षा IX तथा X में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की गई निधि तथा इसकी उपयोगिता के ब्यौरे**

 **(लाख रुपए में)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15**  | **2015-16** | **2016-17** |
| **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 1386.00 | 1386.00 | 1983.00 | 1983.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 218.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | असम | 90.00 | 90.00 | 211.88 | 211.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.33 | 0.00 |
| 4 | बिहार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.60 | 688.60 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 593.00 | 593.00 | 0.00 | 0.00 | 3718.00 | 3718.00 | 3607.00 | 3607.00 | 2534.15 | 2534.15 |
| 6 | दादरा एवं नगर हवेली | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | गोवा | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.64 | 52.64 |
| 8 | गुजरात | 500.00 | 500.00 | 2835.28 | 2835.28 | 3750.00 | 3750.00 | 3745.76 | 3745.76 | 80.81 | 80.81 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 20.00 | 20.00 | 45.73 | 45.73 | 73.00 | 73.00 | 96.12 | 96.12 | 51.21 | 44.52 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 68.02 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | झारखण्ड | 1472.00 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 1613.00 | 1376.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | कर्नाटक | 260.00 | 260.00 | 3320.05 | 3320.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | केरल | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 796.40 | 771.40 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 3400.00 | 3400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4300.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | महाराष्ट्र | 251.00 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | मणिपुर | 100.00 | 100.00 | 729.70 | 729.70 | 496.05 | 496.05 | 0.00 | 0.00 | 867.38 | 867.38 |
| 17 | मेघालय | 15.00 | 15.00 | 296.76 | 296.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | मिजोरम | 70.00 | 70.00 | 123.19 | 123.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.36 | 336.36 |
| 19 | नागालैण्ड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.47 | 422.55 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | ओडिशा | 3128.00 | 3128.00 | 5601.08 | 5601.08 | 4511.00 | 4511.00 | 4900.00 | 4900.00 | 3376.36 | 3376.36 |
| 21 | राजस्थान | 0.00 | 0.00 | 4792.55 | 4011.70 | 2383.34 | 2383.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | सिक्किम | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | तमिलनाडु | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | तेलंगाना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.52 | 745.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | त्रिपुरा | 340.00 | 340.00 | 674.33 | 674.33 | 678.75 | 678.75 | 1303.60 | 861.49 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | उत्तराखण्ड | 26.00 | 26.00 | 460.20 | 460.20 | 19.82 | 19.82 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 260.00 | 260.00 | 2620.00 | 2620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **कुल** | **11173.00** | **11173.00** | **21943.19** | **20943.86** | **20070.88** | **19833.93** | **22868.95** | **20990.94** | **8416.64** | **8063.62** |

अनुलग्नक **2 (iv)**

**गत 5 वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं एवं बालकों के लिए छात्रावास की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/विश्वविद्यालयों को निर्मुक्त की गई निधियां तथा इसकी उपयोगिता के ब्यौरे**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/विश्वविद्यालय के नाम** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
| **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 279.81 | 279.81 | 846.73 | 846.73 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1221.74 | 1221.74 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | गुजरात | 187.06 | 187.06 | 939.33 | 939.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.47 | 380.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | झारखण्ड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | कर्नाटक | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | केरल | 0.00 | 0.00 | 553.45 | 553.45 | 1949.63 | 1949.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | मध्य प्रदेश | 2291.57 | 2291.57 | 0.00 | 0.00 | 1305.00 | 1305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ओडिशा | 1697.50 | 1697.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | मणिपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1283.65 | 1283.65 |
| 12 | मिजोरम | 0.00 | 0.00 | 2289.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | महाराष्ट्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1031.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | नागालैण्ड | 0.00 | 0.00 | 810.95 | 810.95 | 0.00 | 0.00 | 1798.45 | 1002.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | राजस्थान | 1500.00 | 1500.00 | 2646.87 | 2646.87 | 0.00 | 0.00 | 3393.97 | 1427.65 | 595.35 | 595.35 |
| 16 | सिक्किम | 460.29 | 460.29 | 0.00 | 0.00 | 460.29 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | तमिलनाडु | 0.00 | 0.00 | 112.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | त्रिपुरा | 883.77 | 883.77 | 1906.01 | 1906.01 | 1797.62 | 501.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | उत्तराखण्ड | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | वीर नर्मद दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू), वाराणसी | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | मिजोरम विश्वविद्यालय | 437.08 | 437.08 | 0.00 | 0.00 | 195.01 | 195.01 | 59.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगलोर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | जेएलएन कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.32 | 0.00 |
| 25 | राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.68 | 0.00 |
|  | **कुल** | **7737.08** | **7737.08** | **10105.50** | **7703.34** | **7424.01** | **4331.97** | **6935.83** | **4051.89** | **2000.00** | **1283.65** |

**गत 5 वर्षों के दौरान “जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना” की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की गई निधियां तथा इसकी उपयोगिता के ब्यौरे**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं**. | **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** | 2013-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
| **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 988.49 | 988.49 | 371.87 | 371.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | असम | 0.00 | 0.00 | 749.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 530.36 | 530.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | गोवा | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 5 | गुजरात | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1144.48 | 1144.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | केरल | 1025.02 | 1025.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | मध्य प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1425.00 | 1425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | महाराष्ट्र | 0.00 | 0.00 | 2474.63 | 2474.63 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | ओडिशा | 2458.90 | 2458.90 | 2091.10 | 749.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | सिक्किम | 0.00 | 0.00 | 575.28 | 575.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | त्रिपुरा | 797.23 | 797.23 | 954.52 | 954.52 | 954.52 | 954.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **कुल** | **6100.00** | **6100.00** | **7217.00** | **5125.34** | **4524.00** | **4524.00** | **300.00** | **300.00** | **0.00** |

अनुलग्नक **2 (v)**

**जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) को समर्थन की योजना के तहत राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियां**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र** | **टीआरआई के लिए निर्मुक्ति (लाख रुपए में)** | **14.3.2018 तक कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र****(लाख रुपए में)** |
| **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 23.25 | - | 96.5 | -  | -  | 29.58 |
| 2 | असम | 27.56 | 60.01 | 85.77 |  - | -  |  |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 15.50 | - | 164.50 |  - | -  | 15.50 |
| 4 | गुजरात | - | 16.10 | 69.91 | 86.53 | -  | 61.81 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश | - | - | -  | -  | -  | 5.44 |
| 6 | जम्मू और कश्मीर | - | - | -  | 10.00 | 340.00 | 350.00 |
| 7 | झारखण्ड | - |  | 107.11 |  - | -  | 102.84 |
| 8 | कर्नाटक | 16.00 | 29.00 | 93.00 | 148 | 117 | - |
| 9 | केरल | 44.93 | - | 45.45 |  - | 67.99 | 37.11 |
| 10 | मध्य प्रदेश | 77.00 | - | 157.50 | 78.75 | 54.35 |  |
| 11 | महाराष्ट्र | - | - | 58.10 |   |   | 159.00 |
| 12 | मणिपुर | 68.64 | 56.50 | 151.00 | 119 | 109 |  |
| 13 | ओडिशा | 115.31 | 109.80 | 305.5 | 250.30 | 322.39 | 17.00 |
| 14 | राजस्थान | - | - | 77.33 | 126.50 |   | 63.25 |
| 15 | सिक्किम | - | - | -  | -  | 111.00 | - |
| 16 | तमिलनाडु | - | - | 32.50 | 132.30 | -  | 57.30 |
| 17 | तेलंगाना | - | - | 60.16 |   | 121.9 | - |
| 18 | त्रिपुरा | 28.02 | - | 66.00 | 159.50 | 73.25 | - |
| 19 | उत्तर प्रदेश | - | - | -  |  - | 43.26 | 43.26 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | - | - | 73.00 | 43.50 | 150.82 | - |
| 21 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | - | 3.00 | 41.00 | 50.00 | 189.00 | 189.00 |
|   | **कुल** | **416.21** | **274.41** | **1684.33** | **1204.38** | **1699.96** | **1125.65** |

अनुलग्नक **2 (vi)**

**वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की गई निधियां तथा इसकी उपयोगिता के ब्यौरे**

**(लाख रुपए में)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के नाम** | **2012-13** | **2013-14**  | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
| **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** | **निर्मुक्त निधि** | **उपयोग किया गया** |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 3.00 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 19438.70 | 19438.70 | 4895.16 | 4895.16 | 5070.01 | 5070.01 | 1986.82 | 1986.82 | 9777.62 | 9777.62 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 633.00 | 633.00 | 1366.85 | 1366.85 | 2.29 | 2.29 | 1137.61 | 1137.61 | 1136.32 | 1136.32 |
| 4 | असम | 4537.69 | 4537.69 | 4756.81 | 4756.81 | 1114.00 | 1114.00 | 6748.28 | 4481.68 | 266.65 | 0 |
| 5 | बिहार | 90.00 | 90.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6 | छत्तीसगढ़ | 3150.31 | 3150.31 | 1341.48 | 1341.48 | 4066.75 | 4066.75 | 4764.83 | 4764.83 | 2674.82 | 2674 |
| 7 | दमन व दीव | 4.00 | 4.00 | 10.90 | 10.90 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 53.63 | 53.63 |
| 8 | गोवा | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 356.00 | 356.00 | 645.00 | 645 |
| 9 | गुजरात | 2460.71 | 2460.71 | 7138.58 | 7138.58 | 3929.23 | 3929.23 | 5520.40 | 5520.40 | 22040.27 | 22040.27 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 948.52 | 948.52 | 282.83 | 282.83 | 237.00 | 237.00 | 1350.00 | 1350.00 | 931.36 | 931.36 |
| 11 | जम्मू और कश्मीर | 710.06 | 710.06 | 177.00 | 177.00 | 2494.17 | 2494.17 | 2494.17 | 2494.17 | 2587.84 | 1565.65 |
| 12 | झारखण्ड | 1344.21 | 1344.21 | 2043.23 | 2043.23 | 4927.23 | 4927.23 | 0.00 | 0.00 | 8148.39 | 6600.00 |
| 13 | कर्नाटक | 2522.75 | 2522.75 | 3340.76 | 3340.76 | 3691.00 | 3691.00 | 5839.00 | 5839.00 | 8540.00 | 8540.00 |
| 14 | केरल | 329.45 | 329.45 | 625.53 | 625.53 | 647.00 | 647.00 | 0.00 | 0.00 | 3122.00 | 3122.00 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 9542.45 | 9542.45 | 5276.71 | 5276.71 | 2385.00 | 2385.00 | 3065.00 | 3065.00 | 13054.00 | 13054.00 |
| 16 | महाराष्ट्र | 4604.38 | 4604.38 | 11996.04 | 11996.04 | 7451.83 | 7451.83 | 5209.83 | 5209.83 | 22092.28 | 22083.48 |
| 17 | मणिपुर | 4243.64 | 4243.64 | 6111.01 | 6111.01 | 3615.48 | 3615.48 | 3588.00 | 3588.00 | 3385.20 | 3372.72 |
| 18 | मेघालय | 1753.42 | 1753.42 | 3438.00 | 3438.00 | 438.00 | 438.00 | 3274.61 | 3274.61 | 3189.00 | 3189.00 |
| 19 | मिजोरम | 3546.61 | 3546.61 | 5393.89 | 5393.89 | 4501.15 | 4501.15 | 4927.91 | 4927.91 | 4267.52 | 4267.52 |
| 20 | नागालैण्ड | 2191.09 | 2191.09 | 2626.19 | 2626.19 | 2329.59 | 2329.59 | 2646.34 | 2646.34 | 1344.00 | 0.00 |
| 21 | ओडिशा | 5405.95 | 5405.95 | 3459.87 | 3459.87 | 4512.00 | 4512.00 | 4050.00 | 4050.00 | 15556.48 | 15556.48 |
| 22 | राजस्थान | 2142.99 | 2142.99 | 2216.02 | 2216.02 | 6440.00 | 6440.00 | 10890.43 | 10890.43 | 9800.00 | 8381.44 |
| 23 | सिक्किम | 414.15 | 414.15 | 845.49 | 845.49 | 414.00 | 414.00 | 400.00 | 400.00 | 938.16 | 938.16 |
| 24 | तमिलनाडु | 178.66 | 178.66 | 1436.02 | 1436.02 | 44.00 | 44.00 | 2266.86 | 2266.86 | 3061.85 | 3054.40 |
| 25 | तेलंगाना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12329.88 | 12329.88 | 9650.00 | 9650.00 | 11483.00 | 11483.00 |
| 26 | त्रिपुरा | 1036.47 | 1036.47 | 1390.99 | 1390.99 | 974.82 | 974.82 | 1700.00 | 1700.00 | 1323.90 | 1323.90 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 227.00 | 227.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 1057.50 | 930.00 |
| 28 | उत्तराखण्ड | 657.98 | 657.98 | 1086.50 | 1086.50 | 164.00 | 164.00 | 900.00 | 900.00 | 5090.57 | 3814.57 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 949.16 | 949.16 | 2277.63 | 2277.63 | 237.00 | 237.00 | 2948.46 | 2948.46 | 0.00 | 0.00 |
|  | **कुल योग** | **73074.35** | **73074.35** | **73615.24** | **73615.24** | **72098.18** | **72098.16** | **85714.55** | **83447.95** | **155567.37** | **148534.52** |

अनुलग्नक **2 (vii)**

**वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास की योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त की गई निधियां तथा इसकी उपयोगिता के ब्यौरे**

**(लाख रुपए में)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **राज्य का नाम** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
| **निर्मुक्ति** | **उपयोग किया गया**  | **निर्मुक्ति** | **उपयोग किया गया**  | **निर्मुक्ति** | **उपयोग किया गया**  | **निर्मुक्ति** | **उपयोग किया गया**  | **निर्मुक्ति** | **उपयोग किया गया**  |
| 1 | आंध्र प्रदेश  | 2000.00 | 2000.00 | 1750.00 | 1750.00 | 2000.00 | 2000.00 | 3240.00 | 3240.00 | 5105.00 | 5105.00 |
| 2 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 3 | बिहार | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.87 | -  |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 2000.00 | 2000.00 | 1400.00 | 1400.00 | 2212.02 | 2212.02 | 1809.63 | 1809.63 | 1230.00 | 1230.00 |
| 5 | गुजरात | 700.00 | 700.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1091.00 | 1091.00 | 898.10 | 888.81 | 779.12 | 109.91 |
| 6 | झारखण्ड | 631.00 | 631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1575.00 | 1575.00 | 3120.00 | -  |
| 7 | कर्नाटक | 659.46 | 659.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 136.00 | 100.00 |
| 8 | केरल | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | -  |
| 9 | मध्य प्रदेश | 4350.00 | 4350.00 | 4500.00 | 4500.00 | 4272.94 | 4272.94 | 4491.92 | 4491.92 | 10460.40 | 9950.40 |
| 10 | महाराष्ट्र | 0.00 | 0.00 | 2610.00 | 2610.00 | 1900.00 | 1900.00 | 0.00 | 0.00 | 2077.00 | -  |
| 11 | मणिपुर | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 47.50 | 47.50 | 100.00 | 100.00 | 329.00 | -  |
| 12 | ओडिशा | 3260.00 | 3260.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3373.92 | 3373.92 | 1379.00 | 164.00 |
| 13 |  राजस्थान | 1500.00 | 1500.00 | 700.00 | 700.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1076.09 | 1076.09 | 1331.00 | 843.00 |
| 14 | तमिलनाडु | 1400.00 | 1400.00 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 1048.15 | 1048.15 | 3055.00 | -  |
| 15 | तेलंगाना | 0.00 | 0.00 | 1250.00 | 1250.00 | 600.00 | 600.00 | 1439.04 | 1439.04 | 1139.00 | 1139.00 |
| 16 |  त्रिपुरा | 700.00 | 700.00 | 950.00 | 950.00 | 826.54 | 826.54 | 895.56 | 895.56 | 2250.00 | 1161.92 |
| 17 | पश्चिम बंगाल | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 447.60 | 447.60 | 574.00 | -  |
| 18 | उत्तराखण्ड | 400.00 | 292.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.48 | -  |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -  |
|  | **कुल योग** | 17700.46 | 17592.94 | 20235.00 | 19635.00 | 17550.00 | 16950.00 | 21195.00 | 21185.72 | 33799.87 | 19803.23 |

अनुलग्नक **2 (viii)**

|  |
| --- |
| **वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे** |
|  | **(रुपए में)** |
| **क्रम सं.** | **राज्य का नाम** | **2012-13** | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 12067987 | 30710906 | 3443334 | 25263164 | 16058361 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 8033861 | 67132628 | 44975364 | 9569894 | 45605089 |
| 3 | असम | 8390193 | 9926416 | 8755425 | 5785170 | 13766060 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 1620270 | 9523902 | 4943900 | 1620270 | 6596669 |
| 5 | गुजरात | 0 | 8378890 | 21372227 | 4338188 | 11193835 |
| 6 | हिमाचल प्रदेश | 157500 | 15307965 | 17074044 | 0 | 27733860 |
| 7 | झारखण्ड | 11850024 | 30729304 | 65726048 | 20519422 | 40575895 |
| 8 | जम्मू और कश्मीर | 0 | 1849380 | 4035911 | 0 | 0 |
| 9 | कर्नाटक | 9466192 | 16674897 | 24888744 | 22725348 | 38909904 |
| 10 | केरल | 6264328 | 7023003 | 9907370 | 9625460 | 11355052 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 7054301 | 6480318 | 10189512 | 6654020 | 15278404 |
| 12 | महाराष्ट्र | 23146748 | 6282095 | 19697375 | 3377213 | 20295458 |
| 13 | मणिपुर | 12542915 | 21381413 | 21091546 | 6346350 | 39406207 |
| 14 | मेघालय | 29349920 | 85791751 | 67215218 | 27479208 | 60692770 |
| 15 | मिजोरम | 0 | 4026663 | 4039560 | 0 | 4016475 |
| 16 | नागालैण्ड | 0 | 1050361 | 3215437 | 0 | 0 |
| 17 | ओडिशा | 18305070 | 22221746 | 30398337 | 19079568 | 45737410 |
| 18 | राजस्थान | 0 | 0 | 8331000 | 3182749 | 6783268 |
| 19 | सिक्किम | 0 | 2829000 | 2564384 | 5454113 | 5205330 |
| 20 | तमिलनाडु | 2330550 | 3433898 | 3509519 | 1181790 | 3891019 |
| 21 | तेलंगाना | 0 | 2372423 | 2375010 | 1976326 | 63786629 |
| 23 | त्रिपुरा | 3294511 | 107370 | 1715310 | 1582470 | 6602040 |
| 24 | उत्तराखण्ड | 2857243 | 9024302 | 11866736 | 1766858 | 11263873 |
| 25 | उत्तर प्रदेश | 0 | 1683981 | 6904581 | 2218403 | 3448897 |
| 26 | पश्चिम बंगाल | 23421235 | 36057388 | 45252818 | 37791760 | 31533450 |
| 27 | दिल्ली | 735565 | 0 | 1511290 | 0 | 907171 |
|   | **कुल योग** | **180888413** | **400000000** | **445000000** | **217537744** | **530643126** |

अनुलग्नक **2 (ix)**

|  |
| --- |
| **(रुपए में)** |
| **क्र.सं.** | **राज्य** | **2012-13**  | **2013-14**  | **2014-15**  | **2015-16**  | **2016-17**  |
| 1 | आंध्र प्रदेश | - | - | 5207920 | 193107731 | 27094085 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | - | 1295053 | 4271709 | - | - |
| 3 | छत्तीसगढ़ | 3723818 | 4407038 | 3925448 | - | 3963499 |
| 4 | गुजरात | - | 145999463 | 194219225 | 171232411 | 285792943 |
| 5 | झारखण्ड | 1846586 | - | 4442520 | 2107200 | - |
| 6 | मध्य प्रदेश | - | 68593579 | 57103228 | 14357845 | 42004939 |
| 7 | महाराष्ट्र | 5948849 | 9473800 | 3600400 | - | 15838410 |
| 8 | ओडिशा | 62330103 | 162255734 | 26507661 | 104081259 | 192941396 |
| 9 | राजस्थान | 300000 | 10976580 | 9665119 | - | 14877810 |
| 10 | तेलंगाना | - | - | 41056770 | 48075810 | 71975792 |
| **कुल** |  | **74149356** | **403001247** | **350000000** | **532962256** | **654488874** |

**वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के बीच शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे**

टिप्पणः उपरोक्त दो योजनाओं के तहत पूर्व वर्षों के लिए निर्मुक्त अनुदान के समक्ष संगठन द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण संबंधी वित्तीय वर्ष के लिए संगठनों को निधियां वितरित की जाती हैं।

\*\*\*\*